

**राजस्थान सरकार**  
**अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक:—स. 3(3)(3) स्था/मंत्रा./अभि./2018/पार्ट-1/12097-12127

दिनांक:— 30-08-2019

**—:: आदेश ::—**

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम एवं सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण	अभिवृद्धि कब तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री ओमप्रकाश गोतम, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	18.07.55	एडीपी झालावाड	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से दिनांक 17.07.20 तक
2.	श्री मोहबत सिंह, रीडर, न्याय विभाग	14.02.55	एडीपी बाडमेर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से दिनांक 13.02.20 तक
3.	श्री अब्दुल मजीद पठान, अति. प्रशा.अधि, अभियोजन विभाग	01.01.57	एडीपी अजमेर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
4.	श्री रामचन्द्र शर्मा, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	09.07.55	एडीपी उदयपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से दिनांक 08.07.20 तक
5.	श्री रामसिंह चौहान, वरिष्ठ सहायक, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय विभाग	12.06.55	एडीपी राजसमन्द	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से दिनांक 11.06.20 तक
6.	श्री अर्जुन दत्त श्रृंगी, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	27.11.56	एडीपी कोटा	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
7.	श्री जुगराज सिंह, रीडर, न्याय विभाग	02.10.56	एडीपी कोटा	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
8.	श्री विजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	11.09.56	एडीपी भरतपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
9.	श्री लाल सिंह, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	05.08.56	एडीपी भरतपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
10.	श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	06.01.57	एडीपी नागौर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
11.	श्री अब्दुल रज्जाक खॉं, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	31.12.56	एडीपी उदयपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
12.	श्री रामकरण वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.04.57	एडीपी कोटा	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
13.	श्री बनवारी लाल मील, सहा. प्रशा. अधि, अभियोजन विभाग	08.05.57	एडीपी सीकर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
14.	श्री मांगे राम सुथार, अति.प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	13.01.57	एडीपी हनुमानगढ	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
15.	श्री नरपत सिंह, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	10.03.57	एडीपी पाली	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
16.	श्री उदयचन्द शर्मा, सहा. प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	02.12.55	एडीपी चुरु	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
17.	श्री श्याम सुन्दर कालानी, अति.प्रशा.अधि, अभियोजन विभाग	26.01.56	एडीपी पाली	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक

30/08/19

18.	श्री शंकर लाल शर्मा, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	09.11.55	एडीपी जयपुर द्वितीय	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक
19.	श्री माणक चन्द गोठवाल, सहा. प्रशा. अधि., अभियोजन विभाग	19.05.55	एडीपी जयपुर प्रथम	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 18.05.20 तक
20.	श्री चन्द्र प्रकाश गोधा, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	04.06.55	एडीपी जैसलमेर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 03.06.20 तक
21.	श्री श्रीयालाल मीना, सहा.प्रशा. अधिकारी, शिक्षा विभाग	09.05.55	एडीपी दौसा	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 08.05.20 तक
22.	श्री घनश्याम बारोलिया, वरिष्ठ सहायक, वन विभाग	25.01.55	एडीपी दौसा	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 24.01.20 तक
23.	श्री छीतर मल महावर, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.01.56	एडीपी दौसा	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक
24.	श्री ओमप्रकाश मीणा, अति. प्रशा. अधि., अभियोजन विभाग	12.04.56	एडीपी द्वितीय जयपुर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक
25.	श्री छीतर मल राजोरा, सहा. प्रशा.अधि, अभियोजन विभाग	27.08.55	एडीपी बून्दी	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 26.08.20 तक
26.	श्री देवी सिंह, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.09.55	एडीपी जालौर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 31.08.20 तक
27.	श्री गोपाल गनवानी, अति.प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	10.03.57	एडीपी अजमेर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक
28.	श्रीमति मधुबाला शर्मा, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	19.08.55	एडीपी अजमेर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 18.08.20 तक
29.	श्री महावीर प्रसाद तिवाडी, वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	04.07.55	एडीपी हनुमानगढ	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 03.07.20 तक
30.	श्री पूर्ण सिंह छीलर, मुंसरिफ, न्याय विभाग	04.06.55	एडीपी हनुमानगढ	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 03.06.20 तक
31.	श्री सत्यनाराण व्यास, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	03.06.55	एडीपी जोधपुर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 02.06.20 तक
32.	श्री अरुण कुमार व्यास, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	30.07.55	एडीपी पाली	पाचवी बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 29.07.20 तक
33.	श्री बुद्धाराम प्रजापत, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	11.03.55	एडीपी पाली	पाचवी बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 10.03.20 तक
34.	श्री कैलाश चन्द सेनी, अति. प्रशा. अधि, अभियोजन विभाग	13.10.55	एडीपी जयपुर द्वितीय	पाचवी बार	कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक
35.	श्री शोभाराम, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	11.12.54	एडीपी जयपुर प्रथम	पाचवी बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 10.12.19 तक
36.	श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहा. प्रशा.अधि, अभियोजन विभाग	11.03.55	एडीपी जयपुर प्रथम	पाचवी बार	कार्यग्रहण की दिनाक से दिनाक 10.03.20 तक
37.	श्री ओम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	02.10.55	एडीपी जयपुर द्वितीय	पाचवी बार	कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक


- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा कालम सख्या 6 के अनुसार कार्यग्रहण की दिनाक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

20/10/18

7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश कार्मिक (क-2) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 959/कार्मिक/क-2/19 दिनांक 22.08.2019, वित्त (व्यय-4) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 181900758/दिनांक 29.08.19 तथा गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00054/H-10/19 दिनांक 27.08.19 के आधार पर जारी किया जा रहा है।


सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।



(एस.एन.व्यास)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, .....
4. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर